राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(2323)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/00793/2019 जयपुर, दिनांक : 27/2/19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री भवानी शंकर यादव, सूचना सहायक, कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.), निवाई, जिला टोंक को **वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा** से पत्राचार के माध्यम से **एम.एस.सी. प्रथम वर्ष परीक्षा** में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री भवानी शंकर यादव, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(बी.एस.नाथावत)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) निवाई, जिला टोंक।
2. श्री भवानी शंकर यादव, सूचना सहायक, कार्यालय निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.) निवाई, जिला टोंक।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइड, वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

कमांक :–एफ.2(3104)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/00807/2019 जयपुर, दिनांक : 27/2/19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री बनवारी लाल, सूचना सहायक, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक मुख्यालय मौलासर (नागौर) को **जयपुर नेशनल युनिवर्सिटी, जयपुर** से पत्राचार के माध्यम से **एम.सी.ए. परीक्षा** में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री बनवारी लाल, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(बी.एस.नाथावत)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक),कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, नागौर।
2. श्री बनवारी लाल, सूचना सहायक, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक मुख्यालय मौलासर, नागौर।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइड, वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

सूचना प्रौद्योगिकी भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर
फोन : 0141–22224855, 2222439, फैक्स : 0141–2223010, वैबसाईट – www.doitc.rajasthan.gov.in

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(6003)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14/00806/2019 जयपुर, दिनांक : 27/2/19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री ग्यारसी लाल मीना, सूचना सहायक, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय, प्रतापगढ को **Jaipur National University, Jaipur** से पत्राचार के माध्यम से **MCA IInd Year 2018-19 परीक्षा** में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री ग्यारसी लाल मीना, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(बी.एल.नाथावत)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक),कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, प्रतापगढ।
2. श्री ग्यारसी लाल मीना, सूचना सहायक, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय प्रतापगढ।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइड, वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(4097)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14 /00862 जयपुर, दिनांक : 28/2/19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री भरत सिंह, सूचना सहायक, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक– मारवाड जंक्शन (खारची), जिला पाली को **महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर** से स्वयंपाठी के माध्यम से **एम.ए. (हिन्दी) परीक्षा** में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री भरत सिंह, सूचना सहायक, सूचना सहायक को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समानं ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

(बी.एस.नाथावत)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है:–

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक),कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पाली।
2. श्री भरत सिंह, सूचना सहायक, कार्यालय एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उपनिदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, ब्लॉक– मारवाड जंक्शन (खारची), जिला पाली।
3. प्रभारी अधिकारी वेबसाइड, वेबसाइड पर अपलोड कराने हेतु।
4. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

क्रमांक :–एफ.2(27/4)/डी.ओ.आई. टी./संस्था/14 00855 जयपुर, दिनांक : 28/2/19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री रतिराम सैनी, सूचना सहायक, कार्यालय तहसीलदार कोटपूतली जिला जयपुर को आरआरबी सीईएन नं. 03/2018 द्वारा आयोजित जेई(आईटी) एवं राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर द्वारा पत्राचार माध्यम से आयोजित अर्थशास्त्र से एमए (2 वर्षीय) परीक्षा 2019 की परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त **श्री रतिराम सैनी**, को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।
12. यह कार्योत्तर स्वीकृति **श्री रतिराम सैनी**, सूचना सहायक के राजकीय सेवा में नये होने व नियमों की पूर्ण जानकारी नहीं होने से जारी की जाती है, इस **जेई(आईटी) एवम् अर्थशास्त्र से एमए** की कार्योत्तर स्वीकृति को लेकर भविष्य में यदि कोई बात उत्पन्न होती है तो इसके लिए **श्री रतिराम सैनी** व्यक्तिशः जिम्मेदार रहेगे तथा यह स्वीकृति प्रथमदृष्तया स्वतः ही शून्य (Primae-Facie-Null and Void) होगी।

बी. एस. नाथावत)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. तहसीलदार, कोटपूतली जयपुर ।
2. **श्री रतिराम सैनी**, सूचना सहायक, कार्यालय तहसीलदार, कोटपूतली जयपुर ।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
4. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।

प्रभारी अधिकारी(संस्थापन)

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

क्रमांक :–एफ.2(1939)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/14/00854 जयपुर, दिनांक : 28/2/19

अनापत्ति प्रमाण पत्र

श्री चन्दन सिंह, सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, सिवाना, बाड़मेर ने अग्रिम अध्ययन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रेषित किया है। श्री चन्दन सिंह, सहायक प्रोग्रामर को **B.A. IInd Year, Jai Narain Vyas University, Jodhpur** से स्वयंपाठी के माध्यम से अग्रिम अध्ययन परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति श्री चन्दन सिंह, सहायक प्रोग्रामर को राजस्थान सिविल सेवाऐं (आचरण) नियम, 1971 के नियम–17 की निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन प्रदान की जाती है:–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हे परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष मे अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तो की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरूद्व कार्मिक विभाग के परिपत्र कमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क–3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी।

sd

(भंवर सिंह नाथावत)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, सिवाना, बाड़मेर।
2. श्री चन्दन सिंह, सहायक प्रोग्रामर, कार्यालय सहायक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, निर्वाचन विभाग, सिवाना, बाड़मेर ।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट।
4. संबंधित निजी/रक्षित पत्रावली।

प्रभारी अधिकारी (संस्थापन)